

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- महाराजगंज

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 18.05.23 को वादी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रज्जाक अहमद पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया व किसी से बताने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 154/23 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V sc/st act बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 19.05.2023 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रज्जाक अहमद पुत्र मोहम्मद अनवर सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार के पास से समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 154/23 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V sc/st act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 154/23 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V sc/st act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

रज्जाक अहमद पुत्र मोहम्मद अनवर सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर
गोकशी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.अहमद उर्फ शेरू पुत्र शोहराब निवासी ग्राम0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. मो0 आरिफ पुत्र मो0 युनुस ग्राम सरायन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ 3. रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल 4. गीता निषाद पत्नी रामचेत निषाद निवासीगण भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को पूर्व में मा0 न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा जा गया है। मुकदमा उपरोक्त में वांछित दो अभियुक्तों 1.विरेन्द्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. इन्दल निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जिनके गिरफ्तारी नहीं हो पायी थी। फरार चल रहे अभियुक्तों के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000-25000 रुपये के इनाम भी घोषित किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 19.05.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्तों 1.इन्दल निषाद पुत्र रामचेत निषाद 2. विरेन्द्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासीगण भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सेहदा पुल के नीचे समय करीब 07.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.इन्दल निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
2. विरेन्द्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासी भोर्मा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण-

दिनांक 17.05.2023 को वादी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त जसवन्त राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर निवासी ग्राम बहुआपार थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को जबरदस्ती मोबाईल देकर अश्लील बातें किया जाता है व घर से कहीं भाग जानें के लिये दबाव बनाया जा रहा है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 119/2023 धारा- 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान के बाद मुकदमा उपरोक्त में धारा 376,506 भादवि व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज 18.05.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जशवंत राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर ग्राम बहुआपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया को समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 119/23 धारा- 354/376/506 भादवि व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

जशवंत राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर ग्राम बहुआपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव यादव मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना मेंहनाजपुर
नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण :- आज दिनांक 19.05.2023 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र स्व0 टप्पे सिंह ग्राम नरायनपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को जियापुर पुलिस से समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 kg 150 g नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी कके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101 /23 धारा 8/20 डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 101 /23 धारा 8/20 डीपी एक्ट थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- 1. मु0अ0सं0 101 /23 धारा 8/20 डीपी एक्ट थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 81/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :- अनिल सिंह पुत्र स्व0 टप्पे सिंह ग्राम नरायनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

विवरण बरामदगी :- 01 kg 150 g नाजायज गांजा |

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव, व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 19.05.2023 को उ.नि. अरूण कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रामचरन निवासी ठोठिया थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को रानीपुर रजमो हाइवे पुलिस के नीचे से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स.148/23 धारा 3/25 A Act बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र रामचरन निवासी ठोठिया थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स.148/23 धारा 3/25 A Act थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 51/23 धारा 457/380/411/427 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

मु.अ.स. 148/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम उ.नि. अरूण कुमार तिवारी मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना निजामबाद

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 06.05.23 को वादिनी थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त शादाब पुत्र मो० शाहिद निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ हालपता ग्राम वजीरमलपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी के लिये बहला- फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 204/23 धारा- 363,366,506 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान के बाद मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3)भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 19.05.2023 को उ०नि० कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शादाब पुत्र मो० शाहिद निवासी ग्राम वजीरमलपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को लाहीडीह बाजार से समय करीब 5.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 204/23 धारा 363,366,376376(3),506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

शादाब पुत्र मो० शाहिद निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ हालपता ग्राम वजीरमलपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ०नि० कुलदीप सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

थाना देवगाँव

चुनावी रंजीश को लेकर जान से मारने के नियत से हमला

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 10.05.2023 को वादी रामहरख हरिजन पुत्र मखवू ग्राम ताड़कडिह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी स्वयं के पुत्र रविन्दर हरिजन द्वारा वादी को धारदार हथियार से मारा पीटा गया व गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 198/2023 धारा 323/324/504/506 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 9.05.2023 को उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रविन्दर हरिजन पुत्र रामहरख हरिजन निवासी ताड़कडीह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को कोटा बुजुर्ग से समय करीब 05.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 210/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनिय पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 210/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनिय

बरामदगी का विवरण-

01 अदद नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास-

198/2023 धारा 307,323,504,506

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रविन्दर हरिजन पुत्र रामहरख हरिजन निवासी ताड़कडीह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- फूलपुर

चोरी की 06 मोटरसाइकिलों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 18.05.23 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुए कि टेउगा मोड़ के पास बने ग्राउण्ड में चोरो का एक गिरोह चोरी की मोटर साईकिलो के साथ है व चोरी की गाड़ियो को बेचने व अन्य अपराध की फिराक मे है जिनके हथियार बन्द होने की पूरी सम्भावना है। ग्राउण्ड के चारो तरफ करीब 8 फीट की बाउन्ड्री है जिसके अन्दर चार लोग मौजूद है। चारों लोग पुलिस वालों के देख कर अपनी गाड़िया छोड़कर भागने का प्रयास किये परन्तु उनमें से तीन लोगो को पकड़ लिया व एक व्यक्ति भागने मे कामयाब हो गया। पकड़े गये पहले व्यक्ति से नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने नाम विशाल कुमार S/O पप्पू सा0 शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर बताया जिसके पास से मो0सा0 हीरो सुपर स्पेलेन्डर व रंग काला सफेद पट्टी लगा नम्बर UP45 X 9518 बरामद हुआ जिसको वाहन चालान एप पर सर्च किया गया तो प्रियंका पुत्री/पत्नी राजू के नाम से सो कर रहा है जिसमें चेचिस नम्बर का मिलान गाड़ी के चेचिस नम्बर से किया गया तो चेचिस नम्बर भिन्न है। गाड़ी का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर UP44AW6323 है। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम देवा नोना S/O दाढ़ी उर्फ मैकू R/O कन्नूपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 21 वर्ष बताया जिसके पास से पल्शर व रंग सिल्वर लगा नम्बर UP78AX1223 है। उक्त नम्बर को सर्च किया गया तो नम्बर सही रजिस्टर्ड नहीं है गाड़ी के चेचिस नम्बर को जान बूझकर मिटा दिया गया है। पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम समर नोना S/O महेन्द्र सा0 शाहपुर कल्लूपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर उम्र करीब 18 वर्ष बताया जिसके पास से TVS स्पोर्ट व रंग काला हरा नम्बर प्लेट टूटी हुयी अस्पष्ट है। जिसके चेचिस नम्बर MB62SPF54H3G35122 है। चेचिस नम्बर से सर्च किया गया तो वाहन रजिस्टर्ड होना नहीं बता रहा है। एक अन्य गाड़ी भी मौके मौजूद है जो हीरो होण्डा स्पेलेण्डर व रंग काला बिना नम्बर जिसके चेचिस नम्बर 03B20F24300 को सर्च किया गया तो गाड़ी शंकर लाल उदयपुर राजस्थान के नाम दर्ज है जिसका रजि0 नं0 RJ27MD0245 दिखा रहा है उक्त वाहन के बारे मे पूछने पर बताया कि साहब ओ मेरा साथी है जिसका नाम लालू उर्फ सोनू पुत्र महेन्द्र R/O कल्लूपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर है पकड़े गये व्यक्तियों से उनके पास से बरामद वाहनो के कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके भागे हुए व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसका नाम लालू उर्फ सोनू बताया गया। पुनः गहराई से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब दो गाड़िया और है जो लालू की ससुराल के पास खड़ी है लालू की ससुराल यही शिवशंकर के यहां टेऊंगा मे है आप चाहे तो हम लोग उन गाड़ियो को भी बरामद करा सकते है तो का0 आशीष कुमार को बरामद गाड़ियो की सुरक्षा हेतु छोड़कर पकड़े गये व्यक्तियो को लेकर उनकी निशान देही पर आगे बढ़ा तो टेऊंगा हरिजन बस्ती मे एक घर की तरफ इशारा करके बताया कि यहीं शिवशंकर का घर है गाड़िया थोड़ी आगे प्राइमरी स्कूल के पास खड़ी है उनको साथ लेकर प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचा तो प्राइमरी स्कूल के अन्दर दो गाड़िया खड़ी है पकड़े गये व्यक्तियो की निशान देही पर उनको कब्जा पुलिस मे लेते हुए चेक किया गया तो पाँचवी गाड़ी होण्डा सुपर व रंग काला सफेद पट्टी लगा हुआ नम्बर UP65BF9116 है जिसको सर्च किया गया तो नम्बरो शो नहीं कर रहा है जिसको चेचिस नम्बर MBLJARO38H9F46491 से सर्च किया गया तो उक्त वाहन विशाल कुमार S/O पप्पू के नाम से है जो पहले ही पकडा जा चुका है। जिससे पूछने पर बताया कि साहब यह गाड़ी मेरी है। नम्बर प्लेट बदल कर चलने में गलत नम्बर लगा रह गया छठवीं गाड़ी हीरो होण्डा पैशन व रंग लाल काला रजि0 नं0 UP50AH0998 है जिसको सर्च किया गया तो लल्लन यादव S/O लोटई R/O छित्तूपट्टी PS सरायमीर के नाम से पंजीकृत है। जिसका चेचिस नं0 MBLHA10A6EHC06709 है उपरोक्त बरामद शुदा गाड़ियो को कब्जा पुलिस मे लेते हुए पकड़े गये व्यक्तियो की जामा तलाशी नियमानुसार ली गयी तो विशाल कुमार पुत्र पप्पू उपरोक्त के कमर मे खुशा हुआ एक अदद चाकू लोहे का बरामद हुआ। अभियुक्तों को समय करीब 18.20 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। उ0नि0 विपिन कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा फर्द दाखिला व 06 अदद चोरी की मो0सा0 व चाकू बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/23 धारा 411/413/473 भादवि व मु0अ0सं0 209/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विशाल कुमार S/O पप्पू सा0 शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय में किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त 1. देवा नोना S/O दाढ़ी उर्फ मैकू R/O कन्नूपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 21 वर्ष

2. समर नोना S/O महेन्द्र सा0 शाहपुर कल्लूपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर उम्र करीब 18 वर्ष

3. विशाल कुमार S/O पप्पू सा0 शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 208/23 धारा 411/413/473 भादवि व मु0अ0सं0 209/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. देवा नोना S/O दाढ़ी उर्फ मैकू R/O कन्नूपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 21 वर्ष

2. समर नोना S/O महेन्द्र सा0 शाहपुर कल्लूपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर उम्र करीब 18 वर्ष

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	208/23	411/413/473 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़

3. विशाल कुमार S/O पप्पू सा0 शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	208/23	411/413/473 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
2.	209/23	4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

3.	231/21	272,273 भा0द0वि0 व 60(1) आबकारी अधि0	फूलपुर	आजमगढ़
----	--------	--------------------------------------	--------	--------

बरामदगी- 06 अदद चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अदद चाकू
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

प्रेस नोट

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 05 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत हत्या, गोवध, दुष्कर्म व अन्य अपराधों में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 05 अपराधियों को 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना बरदह से 02, थाना जीयनपुर से 01 व थाना सरायमीर से 02 अपराधी जिलाबदर हुए है।

जिलाबदर हुए 05 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

- 1. धीरज सरोज पुत्र श्यामबली सरोज,निवासी बकेश, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ (दुष्कर्म)
- 2. आदिल पुत्र शमीम निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ (हत्या)
- 3. निजामुद्दीन उर्फ भरतुल पुत्र जब्बार निवासी नत्थूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ (गोवध)
- 4. अब्दुल रहमान पुत्र मेराज अहमद निवासी इसरौली थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (आपराधिक)
- 5. इरशाद पुत्र शौकत निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ (गोवध)